

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—16 / 2023

पटना, दिनांक:—

श्रीमती स्मृति संजयम, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं० बैच), जी०एस०टी० अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को उनकी प्रथम संतान के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—2498 दिनांक—12.04.2007 के अंतर्गत दिनांक—10.07.2026 से 04.01.2027 तक मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० /—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा—24—16 / 2023 2003

पटना, दिनांक:—02/06/26

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त, जी०एस०टी० अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच०आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती स्मृति संजयम, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं० बैच), जी०एस०टी० अन्वेषण ब्यूरो, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।